(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

18.02.25 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उप.। अप्रार्थीगण को रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने एकपक्षीय बहस कर निवेदन किया कि मौजा नेलिया, पटवार हल्का गुदाऊ के खसरा सं. 245 रकबा 0.99 हेक्टेयर मुख्यप्रार्थी व अप्रार्थी सं. 01 के संयुक्त खातेदारी दर्ज है। जिसमें मुख्य प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा नं. 2133/243 से लगते हुए खेत के पश्चिम में पड़ोसान ख. नं. 245 का शेष भाग उत्तर में, 245 का शेष भाग दक्षिण में, ख.न. 245 का शेष भाग पूर्व में। पश्चिम में 2133/243 का प्रार्थी स्वयं का आया हुआ है। ख.न. 245 रकबा 0.99 हे. में से 373/1980

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मु.स. 101/2024 (सुरता व/s कागता)

हिस्से की आराजी मूल वाद में नजरी नक्शा "अ" में प्रदर्शित लाल रंग से ABCD के मध्य स्थित आराजी प्रार्थी की जरिये बैचान दस्तावेज पु.सं. 01 जिल्द सं. 585 में पृ.सं. 171 क्र.स. 202403442101985 दि. 27.05.24 को पंजिबद्ध किया गया। उक्त आराजी का पंजीबद्ध होकर बाद स्वीकृत रेकर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम तमाम राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती कर दी गई है। उक्त आराजी बैचान तारीख से आज तक लगातार शांतिपूर्वक, बैरोकटोक प्रार्थी का हिस्सा आया हुआ है। मुझ प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को बंटवाड़ा का ब्यान करने बाबत कहने पर समय-समय पर आश्वस्त करता रहा व बंटवाड़ें हेतु टालमटोल करता रहा। दो दिन बंटवारे को लेकर अप्रार्थी द्वारा स्पष्ट मना कर दिया। अप्रार्थी उपजाऊ जमीन को हड़पने की नियत से खेत की माड़ तोड़कर जबरदस्ती हड़पने की फिराक मे है। प्रार्थी को हक हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी से जबरदस्ती बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अत: अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद फरमावे।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन [illegible] संलग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया। [illegible] के अनुसार वादग्रस्त आराजी [illegible] होना सिद्ध होता है। अत: प्रकरण मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मु न. 101/2024

का सिद्धान्त प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। अत: अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित मानता हूँ।

—:आदेश:—

अत: मौजा नेलिया परवार हल्का सुंदाक्क के आराजी खसरा न. 245 रकबा 0.99 हैक्टेयर आराजी की अप्रार्थी सं. 1 राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक यथा स्थिति बनाये रखेंगे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner